उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-91/2017/आर-1623/26-3-2017-6(विविध)/2017

लखनऊः दिनांकः 06 जून 2017

शुद्धि-पत्र

निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-35/103/ज.जा.वि./2017-18, दिनांक-26.04.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-88/2017/आर-1195/26-3-2017-6(विविध)/2017 दिनांक-01.06.2017 द्वारा संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनपद-ललितपुर में नवीन एकलब्य माडल आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रूपया-500.00 लाख धनराशि (रूपया पांच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश संख्या-88/2017/आर-1195/26-3-2017-6(विविध)/2017, दिनांक-01.06.2017 में त्रुटिवश कार्यदायी संस्था यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 निर्माण इकाई बांदा के स्थान पर यू0पी0स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 अंकित हो गया है, जिसे तदनुसार उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक-01.06.2017 में अंकित अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

कामता प्रसाद

अनुसचिव

पृ0संख्या-91/2017/आर-1623(1)/26-3-2017तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0।

3- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

5- जिलाधिकारी, ललितपुर।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।

9- परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई बांदा।

10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।

11- गार्डफाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in